

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 405] No. 405] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 14, 2018/ज्येष्ठ 24, 1940

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 14, 2018/JYAISTHA 24, 1940

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जून, 2018

सा.का.नि. 560(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उपधारा (1) और (2) सपठित धाराएं 93, 94, 96 और 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) दूसरा संशोधन नियम, 2018 है।
 - (2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 में,-
 - (i) नियम 13 का लोप किया जाएगा:
 - (ii) नियम 15 के उपनियम (6) का लोप किया जाएगा;
 - (iii) नियम 18 के उपनियम (3) के खंड (ix) के बाद स्पष्टीकरण का लोप किया जाएगा;
 - (iv) नियम 22 के उपनियम (16) में परंतृक के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातु :-

3351 GI/2018 (1)

"परन्तु कि इस उपनियम के अधीन व्यापर के किसी उपरोक्त मद, जिसका संव्यवहार डाक मतपत्र के माध्यम से किया जाना अपेक्षित है, को किसी कंपनी जिससे अपने सदस्यों को धारा 108 में विहित रीति के अधीन इलेक्ट्रानिक माध्यम से मतदान करने की सुविधा उपलब्ध कराना अपेक्षित है, के द्वारा किसी साधारण अधिवेशन में इसका संव्यवहार किया जाएगा"

5. "प्ररूप संख्या एमजीटी-10" का लोप किया जाएगा

[फा. सं. 01/34/2013-सीएल.V (पार्ट-I)]

के. वी. आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत केराजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 260(अ) तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा प्रकाशित की गई थी और निम्नलिखित अधिसूचनाओं के द्वारा इसमें पश्चातवर्ती संशोधन किए गए –

क्र. सं.	अधिसूचना संख्या	अधिसूचना
1.	सा.का.नि. 415(अ)	23.06.2014
2.	सा.का.नि. 537(अ)	24.07.2014
3.	सा.का.नि. 669(अ)	28.08.2015
4.	सा.का.नि. 737(अ)	24.09.2015
5.	सा.का.नि. 862(अ)	16.11.2015
6.	सा.का.नि. 908(अ)	23.09.2016
7.	सा.का.नि. 175(अ)	16.02.2018

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 13th June, 2018

G.S.R. 560(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 469 read with sections 93,94, 96 and 110 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, namely:-

- 1. (1) These rules may be called the Companies (Management and Administration) Second Amendment Rules, 2018.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, _
 - (i) rule 13 shall be omitted;
 - (ii) in rule 15, the sub-rule(6), shall be omitted;
 - (iii) in rule 18, in sub-rule (3), Explanation afterclause (ix), shall be omitted;
 - (iv) in rule 22, in sub-rule(16) for the proviso, the following shall be substituted, namely:-

"Provided that any aforesaid items of business under this sub-rule, required to be transacted by means of postal ballot, may be transacted at a general meeting by a company which is required to provide the facility to members to vote by electronic means under section 108, in the manner provided in that section:

Provided further that One Person Companies and other companies having members upto two hundred are not required to transact any business through postal ballot"

(v) the "Form No.MGT-10" shall be omitted.

[F. No. 01/34/2013 CL-V (Pt-I)]

K. V. R. MURTY, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 260(E) dated 31st March, 2014 and subsequently amended *vide* the following notifications:-

Serial Number	Notification Number	Notification Date
1.	G.S.R. 415 (E)	23.06.2014
2.	G.S.R. 537 (E)	24.07.2014
3.	G.S.R. 669 (E)	28.08.2015
4.	G.S.R. 737 (E)	24.09.2015
5.	G.S.R.862 (E)	16.11.2015
6.	G.S.R.908 (E)	23.09.2016
7.	G.S.R.175 (E)	16.02.2018